भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या \*152

जिसका उत्‍तर 16 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाना है ।

**.....**

**राष्‍ट्रीय जल भण्‍डारण नीति**

**\*152. श्रीमती गुन्‍डु सुधारानी :**

क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्‍या यह सच है कि वर्षा का लाखों क्‍यूसेक पानी समुद्रों / महासागरों में व्‍यर्थ बह जाता है;
2. प्रति वर्ष लगभग कितनी मात्रा में पानी समुद्रों / महासागरों में व्‍यर्थ बह जाता है;
3. उपरोक्‍त भाग (क) और (ख) के मद्देनजर, वर्षा के पानी के इष्‍टतम उपयोग हेतु राष्‍ट्रीय जल भण्‍डारण नीति बनाये जाने पर सरकार द्वारा विचार न किये जाने के क्‍या कारण हैं; और
4. क्‍या इस संबंध में पूर्व में कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**राष्‍ट्रीय जल भंडारण नीति के संबंध में राज्‍य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या \*152 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख) जल की उपलब्‍धता में मौसमी, भौगोलिक और वार्षिक विविधता और पर्याप्‍त भंडारण की कमी के कारण, विशेषतया मानसून के मौसम के दौरान, उल्‍लेखनीय मात्रा में जल अप्रयुक्‍त रह जाता है और समुद्र में बह जाता है । वर्तमान आकलन के अनुसार देश में जल की औसत वार्षिक उपलब्‍धता लगभग 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम)है । वर्ष 2009 में केन्‍द्रीय जल आयेाग (सीडब्‍ल्‍यूसी) द्वारा यह अनुमान किया गया है कि लगभग 450 बीसीएम सतही जल विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्‍त किया जा रहा है । इसके अतिरिक्‍त, केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने वर्ष 2009 में अनुमान किया है कि लगभग 243 बीसीएम भूजल विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्‍त किया जा रहा है । शेष जल को समुद्र में बह जाना माना जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा अलग से कोई राष्‍ट्रीय जल भंडारण नीति नहीं बनाई गई है । तथापि, राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में भंडारण तैयार किए जाने पर पर्याप्‍त जोर दिया गया है।

 राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में यह सिफारिश की गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्‍धता की विविधता में संभावित वृद्धि का सामना विभिन्‍न प्रकार के जल भंडारण जैसे मृदा में नमी, तालाबों, भूजल,छोटे एवं बड़े जलाशयों और इनकी संयुक्‍त संरचनाओं में वृद्धि करके किया जाना चाहिए । इस नीति में आगे सिफारिश की गई है कि राज्‍यों को जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए जिसमें अन्‍य बातों के साथ साथ परम्‍परागत जल संचयन संरचनाओं एवं जल निकायों का पुनरूद्धार शामिल किया जाना चाहिए ।

 भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्‍य सरकारों द्वारा बांधों, चैक बांधों और खेत में तालाबों आदि का निर्माण जैसे विभिन्‍न उपाय किए जाते हैं । भारत सरकार त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार संबंधी कार्यक्रम आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्‍यम से राज्‍य सरकारों को तकनीकी एवं वित्‍तीय सहायता देकर भंडारण क्षमता बढ़ाने के प्रयासेां में सहयोग करती है ।

 इन प्रयासों के परिणामस्‍वरूप, देश में अब तक लगभग 253.388 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई है । इसके अतिरिक्‍त, संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा निर्माणाधीन बांधों की सक्रिय भंडारण क्षमता लगभग 50.959 बीसीएम है । इसके अतिरिक्‍त, संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा निर्माण के लिए विचाराधीन बांधों की भंडारण क्षमता लगभग 104 बीसीएम है ।

\*\*\*\*\*